अपील / डिक्री / टीए / 10446 / 03 / जयपुर

श्योनाथ बनात श्योलाल

1–श्योनाथ पुत्र श्री चतरुराम जाति जाट निवासी ग्राम झटावा खुर्द तहसील वजिला झुन्झनू ————अपीलांट / वादी

बनाम

1–श्योलाल पुत्र स्व. श्री गीदाराम जाति जाट(मृतक)

1 / 1–मूल चन्द

1 / 2–गजाधर सिंह

1 / 3–विक्रम सिंह

1 / 4–रामदेव

पुत्रान स्व0 श्री श्योलाल जाति जाट निवासी झटावा खुर्द तहसील व जिला झुन्झुनू।

1 / 5–राधादेवी

1 / 6–रामादेवी

पुत्रान स्व0श्री श्योलाल जाति जाट निवासी झटावा खुर्द तहसील व जिला झुन्झुनू।

2–केवलराम पुत्र स्व0 श्री गीदाराम जाति जाट(मृतक)

1 / 1–महेन्द्र । पुत्रान स्व0 श्री केवलराम जाति जाट निवासी

1 / 2–नरेन्द्र । झटावा खुर्द तहसील व जिला झुन्झुनू

1 / 3–श्रीमति सुमित्रा पुत्री स्व0 श्री केवलराम धर्म पत्नी श्री शिवचन्द जाति जाट निवासी भारु तहसील व जिला झुन्झुनू।

1 / 4–श्रीमति कमला वुत्री श्री केवलराम धर्म पत्नी श्री तेजपाल जाति जाट निवासी ग्राम गोखरी तहसील व जिला झुन्झुनू

1 / 5–श्रीमति सुशीला पुत्र स्व. श्री केवलराम धर्म पत्नी श्री मनोहर सिंह लाम्बा जाति जाट निवासी ग्राम सुल्ताना तहसील चिडावा जिला झुन्झूनू

1 / 6– श्रीमति विमला पुत्र स्व.श्री केवलराम धर्म पत्नी श्री शिशुपाल जाति जाट निवासी ग्राम लाउ तहसील व जिला झुन्झुनू

1 / 7–श्रीमति विद्या पुत्री स्व0 श्री केवलराम धर्म पत्नी स्व. विध्याधर जाति जाट निवी ग्राम लाखउ तहसील व जिला झुन्झुनू

—— रेस्पोडेंटस / प्रतिवादीगण

अपील / डिक्री / टीए / 10446 / 03 / जयपुर

श्योनाथ बनात श्योलाल

खण्ड– पीठ
श्री श्याम लाल गुर्जर, सदस्य
श्री रविप्रकाश शर्मा, सदस्य

उपस्थितः–

श्री हेमन्त सोगानी अभिभाषक अपीलांट
श्री आत्माराम शर्मा अभिभाषक रेस्पोंडेंट

निर्णय दिनांक 01-4-18

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10–4–03 (अपील संख्या 119 / 02 शीर्षक श्योलाल बनाम श्योनाथ व अन्य) के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्यानुसार अपीलांट / वादी ने रैस्पोंडेंट / प्रतिवादी के विरुद्ध एक दावा बावत इस्तकरार हक ,बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी के खातेदार कृषक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 है और अपने पिता एवं दादा के समय से काबिज रह कर काश्त करते चले आ रहे है। यह कि वादी के दादा गीदामरा के तीन पुत्र चतरुराम ,केवलराम व श्योलाल हुये तथा चतरुराम का स्वर्गवास हो गया उसका एक मात्र पुत्र वादी श्योनाथ है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने दिनांक 13–12–79 को आपसी सहमति से भूमि विवादग्रस्त का बंटवारा कर लिया और उसी अनुसार अलग अलग भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त राजीनामा के आधार पर वाद संख्या

अपील / डिक्री / टीए / 10446 / 03 / जयपुर

श्योनाथ बनात श्योलाल

210 / 76 शीर्षक केवलराम बनाम श्योनाथ पेश किया गया है। गीदाराम का स्वर्गवास हो गया जिसके जीवनकाल में विवादित आराजी को गीदाराम के लडकों ने पिताके साथ शामिल में काश्त किया और गीदाराम के सवर्गवास के बाद आपसी सहमति से हुए बंटवारे के आधार पर काबिज है। राजीनामा के आधार पर खसरा नं0 83 रकबा 19 बीघा 15 बिस्वा, 488 रकबा 8 बीघा व 648 / 488 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा वादी श्योनाथ के हिस्से में आई जिस पर वादी काबिज काश्त रहा है। उक्त राजीनामा के आधार पर विवादित आराजी का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया। विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद पैदा हो गया ऐसी स्थिति मे वादी द्वारा वाद पेश कर यह अनुतोष चाहा गया कि विवादित आराजी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 2, तीनों का 1 / 3–1 / 3 हिस्सो घोषित किया जा कर वादपत्र के पैरा संख्या 6 में दिये गये विवरण के अनुसार अन्तिम बंटवारा किया जावे। प्रतिवादी संख्या एक ने जबावदावा पेश कर वादपत्र में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या दो ने मिल कर यह झूठा दावा पेश किया है, जो निरस्तनीय है। प्रतिवादी संख्या 2 केवलराम ने जबावदावा पेश कर वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार कर दावे को डिक्री करने का अनुरोध किया। इसके बाद इकबाली जबावदावा पेश करने के बाद जबावदावे को संशोधित किये जाने की स्वीकृति प्राप्त कर जबावदावा में प्रस्तुत तथ्यों से इंकार करते हुए कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 454, 454 / 2, 648 / 488 व 173 / 83 उसकी स्वअर्जित व कब्जे की आराजी है। अन्त में दावा को निरस्त करने का निवेदन किया। उक्त दावा व जबावदावा के आधार पर दावे में तनकीयात कायम करते हुए व साक्ष्य सबूत लेकर अपने निर्णय दिनांक 22–10–02 द्वारा वादी कादावा डिक्री कर वादी को विवादित आराजी के 1 / 3 हिस्से का खातेदार घोषित कर दिया तथा खसरा नं0 454, 454 / 2, 648 / 488 का वादी को, खसरा नं0 462 / 1,94 व 153 का प्रतिवादी संख्या एक श्योलाल को तथा खसरा नम्बर 454, 454 / 2 तथा 173 / 83 को प्रतिवादी संख्या दो केवलराम के हिस्से रखे जाने का निर्णय पारित करते हुए निर्देश दिये गये कि

खसरा नं0 648 / 488 को रिसीवरी के कब्जे में इसलिए उक्त भूमि को रिसीवरी से वागुजाश्त कर वादीको कब्जा संभला दिया जावे। उक्त निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रतिवादीगण ने अलग अलग अपीलें पेश की। प्रतिवादी श्योलाल द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 119 / 02 उनवानी श्योलाल बनाम श्योनाथ को विद्वान अपील अधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10–4–03 द्वारा आंशिक रुप से स्वीकार करते हुए खसरा नं0 648 / 488 के सम्बन्ध में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरुद्ध अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3 अपील पर उभयपक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

4 विद्वान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य तर्क यह है कि वादपत्र में वर्णित समस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 2 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है पैतृक भूमि होने के कारण गीदाराम के तीनों पुत्र ब हिस्सा बरावर के उत्तराधिकारी हुये। उनका यह भी कथन है कि विवादित आराजी का वादी व प्रतिवादी के मध्य आपसी सहमति से विभाजन हुआ और खसरा नम्बर 83, 488, 648 / 488 वादी श्योनाथ के तन्हा हिस्से व कब्जे में तथा खसरा नं 462 / 1, 94 व 153 प्रतिवादी संख्या एक श्योलाल के तंन्हा हिस्से व कब्जे व भूमि खसरा नं0 94, 454 / 2, 173 / 83 प्रतिवादी संख्या 2 केवलराम के तन्हा हिस्से व कब्जे काश्त में आई और यह राजीनामा सक्षम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 210 / 76 शीर्षक केवलराम बनाम श्योनाथ में पेश किया जाकर तस्दीक भी हो गया जिस पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नही होने के बावजूद भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो अवैध होने से निरस्तनीय है। उनका यह भी तर्क है कि विवादित आराजी पैतृक खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर प्रारम्भ से ही वादी व प्रतिवादी का 1 / 3–1 / 3 हिस्सा है। वास्तविक स्थति को ही आपसी सहमति से हुए राजीना मे में स्वीकार किया गया है फिर भी

अधीनस्थ तहत न्यायालय ने जो डिक्री पारित की है वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के सर्वदा विपरीत है। इसके अलावा उनका आगे तर्क है कि विद्वान अपील अधिकारी के समक्ष जो अपील पेश की उसमें उसने भूमि खसरा नं0 648 / 488 को अपने अकेले के नाम ही तन्हा खातेदारी में दर्ज होना अंकित किया है। जबकि उक्त खसरा नंबर भी तीनों के ही नाम आना चाहिए था। ऐसी स्थिति में विद्वान अपील अधिकारी ने वास्तविक स्थिति पर विचार किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारिज करने में कानूनी त्रुटि की है। अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विद्वान अपील अधिकारी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10–4–03 निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22–10–02 को बहाल रखा जावे।

5– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपीलांट की ओर से की गयी बहस का खण्डन किया और बताया कि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय जो निर्णय व डिक्री खसरा नं0 648 / 488 के बारे में पारित किया है वह केवल मौखिक गवाहों के आधार पर ही पारित किया है। उक्त खसरा नम्बर सं0 2005 से अपीलांट केवलराम की खातेदारी में दर्ज होकर यह भूमि केवलराम की स्व0 अर्जित होना वखूबी साबित है तथा उक्त आराजी पर केवलराम का ही कब्जा काश्त खसरा गिरदावरिसों से साबित होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में विद्वान अपील अधिकारी ने अपीलांट केवलराम की ओर से प्रस्तुत अपील को ऑशिक स्वीकार दिनांक 22–10–02 को स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी द्वारा मुकदमा नं0 145 / 88 शीर्षक श्योनाथ बनाम केवलराम आदि में दिनांक 22–10–02 को ग्राम निराधनू की भूमि खसरा नम्बर 462 / 1 व 488 तथा ग्राम झटावा खुर्द की भूमि खसरा नम्बर 94 व 153 के सम्बन्ध में पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त कर शेष निर्णय व डिक्री को यथावत रखा गया है, जो उचित व कानून सम्मत है।विद्वान अपील अधिकारी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री उचित व कानून सम्मत होने से हस्तगत द्वितीय अपील को खारिज करने का निवेदन किया गया।

6– हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण की ओर से की

गयी बहस पर मनन किया। पत्रावलियों का अध्ययन व अवलोकन किया गया।

7– अधीनीस्थ परीक्षण न्यायालय की पत्राली के अवलोकन से स्पष्ट कि जमाबन्दी सं. 2038 से 41, 2043 से 46 एवं खतौनी बन्दोबस्त सं0 2005 में खसरा नम्बर 83 वादी श्योनाथ के नाम अंकित है। उक्त खसरा नम्बर में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम का को रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध नही है। इसके अलावा सं0 2005 ,जमाबन्दी सं0 2012 ,2022 से 25 व 2038 से 41 एवं 2039 से 42 के अनुसार खसरा नम्बर 545 / 2, 543 व 173 / 83 प्रतिवादी संख्या दो केवलराम के नाम अंकित है। इसके अलावा इन खसरा नम्बरों से संबंधित अन्य कोई रिकार्ड पत्रावली पर मौजूद नही है। चूँकि वादी विवादित भूमियों में स्वयं का 1 / 3 हिस्सा साबित करने में विफल रहा है। किसी भी राजस्व भूमि का कोई पक्षकार विभाजन तभी करवाने का अधिकारी होता है जब वह उस भूमि का शामलाती खोदार काश्तकार हो अथवा वह भूमि पैतृक साबित हो। वादी रेस्पोडेंट संख्या एक, प्रतिवादी संख्या 2 रेस्पोडेंट संख्या 2 व अपीलांट प्रतिवीद संख्या एक तीनो सगे भाई है जिनके पिता का नाम गीदाराम है। पत्रावली में ऐसा कोई राजस्व रिकार्ड पेश नही हुआ है जिसमें विवादित आराजी कभी भी गीदाराम के नाम दर्ज रही हो इसके अभाव में विवादित आराजी को पैतृक नही माना जा सकता हैं । चॅकि श्योनाथ वादी केवल खसरा नंबा 83 वाके ग्राम झटावा खुर्द का खातेदार काश्तकार साबित है शेष भूमियों में उसका कोई हक व हिस्सा राजस्व हरकार्ड में साबित नही है।

8– अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत वाद संख्या 210 / 76 की प्रति के अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में अपीलांट पक्षकार नही था, पक्षकार नही होने की वजह से इसमें प्रस्तुत राजीनामे में अपीलांट के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता है। द्वितीय राजीनामे के आधार पर उन्ही भूमियों का विभाजन किया जा सकता है जो पक्षकारों की पैतृक आराजी हो। चूँकि वर्णित राजस्व रिकार्ड के विवेचनसे यह साबित हो चुका है कि

अपील / डिक्री / टीए / 10446 / 03 / जयपुर

श्योनाथ बनात श्योलाल

विचाराधीन भूमियॉ पैतृक नही है इसके अभाव में स्वअर्जित कृषि भूमियों की खतोदारी राजीनामे के आधार पर परिवर्तित नही की जा सकती है।ऐसी स्थिति में राजीनामाके आधार पर वादी श्योनाथ विवादित भूमियों में 1/3 हिस्से की घोषणा एवं राजीनामा में वण्रित विभाजन के अनुसार आराजी प्राप्त करने का अधिकारी नही है। खसरा नम्बर 462/1, 488 वाके ग्राम निराधनू व खसरा नम्बर 94 व 153 वाके ग्राम झटावा खुर्द अपीलांट की खातेदारी व कब्जे काश्त की होना प्रमाणित है।

9– अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने जो निर्णय व डिक्री खसरा नं0 648/488 के बारे में पारित किया है वह केवल मौखिक गवाहों के आधार पर ही पारित किया है। लेकिन विद्वान अपील अधिकारी ने अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील को आंकिशक रुप से स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी द्वारा मुकदमा नं0 145/88 शीर्षक श्योनाथ बनाम केवलराम आदि में दिनांक 22–10–02 को ग्राम निराधनू की भूमि खसरा नम्बर 462/1 व 488 तथा ग्राम झटावा खुद की भूमि खसरा नम्बर 94 व 153 के सम्बन्ध में पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त कर शेष निर्णय व डिक्री को यथावत रख कर कोई कानूनी त्रुटि नही की है। ऐसी स्थिति में विद्वान अपीलीय न्यायालय ने जो तनकी-वार विस्तृत विवेचन कर निर्णय व डिक्री पारित किया है वह उचित व कानून सम्म्त है, जिसमें हम हस्तगत अपील के माध्यम से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते है। फलस्वरुप यह द्वितीय अपील निराधार होने से खारिज योगय है।

10– अत: उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह द्वितीय अपील खारिज की जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर कैम्प झुन्झुनू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10–2–2004 (10.4.2003) की पुष्टि की जाती है।

आदेश दिनांक 7/8/25 द्वारा

निर्णय खुले न्यायालय में सुनायागया।

01-2-18

(रवि प्रकाश शर्मा)
सदस्य

(श्याम लाल गुर्जर)
सदस्य